

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I rise to lay on the Table: -

- (1) A copy of the statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Karmyogi Bharat, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT
4092/18/25]

? (*Interruptions*)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : सभापति महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-20/टी (रीसाइकिल्ड प्लास्टिक्स-एन) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी/एसपी-21/टी (अल्कोहल-6) में प्रकाशित हुए थे ।
- (3) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एसटीडी / 43-एफए-अधिसूचना/2024 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT
4093/18/25]

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the Table a copy of the Report of the Comptroller and Auditor General of India (Hindi and English versions) - Union Government (15 of 2025) on Cleanliness and Sanitation in long distance trains in Indian Railways ? Performance Audit (Railways), Ministry of Railways, under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 4094/18/25]

? (*Interruptions*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : सभापति महोदय, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- | | | |
|-----|------|--|
| (1) | (एक) | विधिक मापविज्ञान (सामान्य)
तीसरा संशोधन नियम, 2025 जो
दिनांक 28 जुलाई, 2025 के
भारत के राजपत्र में अधिसूचना
संख्या सा.का.नि.498(अ) में |
|-----|------|--|

प्रकाशित हुए थे ।

(दो)

सा.का.नि. 500(अ) जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे (केवल हिन्दी संस्करण में) तथा जिसमें, उसमें उल्लिखित, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 2025 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है ।

(तीन)

विधिक मापविज्ञान (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.525(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार)

विधिक मापविज्ञान (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.536(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See
No. LT 4095/18/25]

(2)

(एक)

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो)

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3)

उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलम्ब के कारण दर्शने वाला
विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी
संस्करण)।

[Placed in Library, See
No. LT 4096/18/25]

? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : सभापति महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 22 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.488(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4097/18/25]

? (व्यवधान)

12.03 hrs